-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 13.04.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तार हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 01/2025 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के में वांछित चल रहे अभियुक्त शरीफ खान पुत्र बाबू खान को ग्राम घटरा जनपद छतरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शरीफ खान पुत्र बाबू खान निवासी घटरा थाना गौरिहार जिला छतरपुर म0प्र0

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शरीफ उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 181/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना मटौध जनपद बांदा
2. मु0अ0सं0 180/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना मटौध जनपद बांदा
3. मु0अ0सं0 229/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मटौध जनपद बांदा
4. मु0अ0सं0 01/2025 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना मटौध जनपद बांदा

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. निरीक्षक अपराध श्री विजय कुमार कुशवाहा
2. व0 उ0नि0 श्री परवेज अहमद
3. कां0 देवांश चौहान